

संख्या : 1176 / XVII-C-1 / 2022-9(43)03

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी  
सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक  
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय  
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 14 जुलाई, 2022

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को देय वित्तीय अनुदान में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-167/XVII-3/14-9(43)03 दिनांक 04.03.2014 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दिये जाने वाले वार्षिकी अनुदान एवं एकमुश्त अनुदान का निर्धारण किया गया है।

मा0 मंत्रिमण्डल के पारित आदेश दिनांक 10.06.2022 के अनुपालन में उक्त शासनादेश दिनांक 04.03.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य के निम्न वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दिये जाने वाले वार्षिकी अनुदान को यथावत् रखते हुए एकमुश्त अनुदान को तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकार निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्र.सं. | पदक                   | एकमुश्त अनुदान<br>(पूर्व में) | वार्षिकी<br>(पूर्व में) | एकमुश्त अनुदान<br>(वर्तमान में) | वार्षिकी<br>(वर्तमान में) |
|---------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1       | सेना मेडल (गैलेंट्री) | 7.00 लाख                      | 0.50 लाख                | 15.00 लाख                       | 0.50 लाख                  |
| 2       | मैशन-इन-डिस्पैच       | 3.50 लाख                      | 0.25 लाख                | 10.00 लाख                       | 0.25 लाख                  |

2- शासनादेश संख्या-167/XVII-3/14-9(43)03 दिनांक 04.03.2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा उक्त की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत् लागू रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 52447/2022 दिनांक 24.06.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
सचिव।

Signed by Deependra Kumar  
Chaudhary

Date: 05-07-2022 11:46:20

संख्या : 1176 / XVII-C-1 / 2022-9(43)03, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 सैनिक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार (उत्तराखण्ड) देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
सचिव।